<u>संस्था की सदस्यता की शर्ते</u> :–

जम्परोप फेडरेशन ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त करने हेतु राज्य/संस्थान जम्परोप एसोसियेशन द्वारा लिखित रुप में अपने राज्य/संस्थान की मान्यता हेतु आवेदन पत्र मान्यता शुल्क रुपये 4,000/– सहित आवेदन करना होगा तथा मान्यता शुल्क प्रतिवर्ष जमा किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे राज्य/संस्थान जम्परोप एसोसियेशन के दो कार्यकारिणी सदस्यों को साधारण सदस्यता प्रदान की जायेगी । साधारण सदस्य सामान्य सभा की बैठक में भाग ले सकते है तथा उन्हें मत देने का अधिकार होगा।

संस्था के आजीवन सदस्य हेतु जम्परोप फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारिणी सदस्य होना अनिवार्य है ऐसे कार्यकारिणी सदस्य जो आजीवन सदस्य बनने के इच्छुक है उन्हें शुल्क के रुप में रुपये 10,000/– आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। ऐसे आजीवन सदस्य कार्यकारिणी एवं सामान्य सभा की बैठक में भाग ले सकते है तथा उन्हें मत देने का अधिकार होगा।

उपरोक्त साधारण सदस्य एवं आजीवन सदस्यों के आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार कार्यकारिणी समिति को होगा।

<u>सदस्यता हेतु निम्नलिखित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा–</u>

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो।
2. भारतीय नागरिक हो।
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
4. सदसचरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।
5. सदस्यता हेतु राज्य/इकाई एवं संस्थान जम्परोप एसोसियेशन के अध्यक्ष एवं सचिव या उनके द्वारा नामांकित दो कार्यकारिणी सदस्यों के नाम सदस्यता हेतु मनोनित किया जा सकता है।
6. जम्परोप फेडरेशन ऑफ इंडिया के नियमानुसार सदस्यता शुल्क प्रतिवर्ष जमा करना होगा।

(अ) **<u>संरक्षक सदस्य</u>** :–

आजीवन सदस्यों में से जो सदस्य फेडरेशन के बहुआयामी विकास के लिये निःस्वार्थ भाव से तन–मन–धन का योगदान करेगा वह सदस्य संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) **<u>आजीवन सदस्य</u>** :–

जो व्यक्ति संस्था को शुल्क/दान के रुप में रुपये 10,000/– या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। जो कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रति पूर्ण कर्मठ और निष्ठावानपूर्ण होकर कार्य करता है तो संस्था की कार्यकारिणी

समिति उसे आजीवन सदस्य बना सकती है। ऐसे आजीवन सदस्य सामान्य सभा की बैठक में भाग ले सकते है और उन्हें मत देने का अधिकार होगा।

(स) **साधारण सदस्य :–**

जम्परोप फेडरेशन ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त राज्य/ईकाई एवं संस्थान जम्परोप एसोसियेशन के अध्यक्ष एवं सचिव या उनके द्वारा नामांकित दो व्यक्तियों को साधारण सदस्य बन सकते है प्रत्येक साधारण सदस्य को प्रतिवर्ष 2000/– प्रति सदस्य साधारण सदस्यता शुल्क भुगतान करना होगा ऐसे साधारण सदस्य सामान्य सभा की बैठक में भाग ले सकते है और उन्हें मत देने का अधिकार होगा।

(द) **कार्यकारिणी सदस्य**:–

पंजीयन के प्रथम कार्यकाल उपरान्त संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्य साधारण सभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव अनुरुप निर्वाचित किये जायेंगे।

सदस्यता की समाप्ति :–

1. मृत्यु हो जाने पर
2. पागल हो जाने पर
3. संस्था द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर
4. त्याग–पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रुप में देनी होगी।
6. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 2 का कंडिका ब एवं स में दर्शाये अनुसार जमा नहीं करने पर।